उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद
संख्या 5-913-74, दिनांक दिसम्बर 23, 1974

सेवा में,

1- पुलिस उप-महानिरीक्षक, प्रशिक्षण तथा प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद ।
2- पुलिस उप-महानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ
3- पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ ।
4- पुलिस उप-महानिरीक्षक, एन्टी डकैती आपरेशन, आगरा ।
5- पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे पुलिस, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।
6- उप पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस टेलीकाम) एवं राज्य रेडियो अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ
7- समस्त पुलिस अधीक्षक प्रभारी जिला, उ0 प्र0 ।
8- समस्त सेनानायक, पी0 ए0 सी0, उ0 प्र0 (उ0 प्र0 के बाहर स्थित वाहिनी सहित)
9- सेनानायक आर0 टी0 एस0, सीतापुर/ मुरादाबाद ।
10- पुलिस अधीक्षक, सी0 बी0, सी0 आई0 डी0, उ0 प्र0, लखनऊ ।
11- पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, अभिसूचना विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ ।
12- पुलिस अधीक्षक, एडमिनिस्ट्रेशन, सी0 आई0 डी0, उ0 प्र0, लखनऊ ।
13- पुलिस अधीक्षक, वैज्ञानिक शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ ।
14- स्टेट फायर आफिसर, उ0 प्र0, लखनऊ ।
15- समस्त पुलिस अधीक्षक, प्रभारी, राजकीय रेलवे पुलिस अनुभाग, उ0 प्र0 ।
16- राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर ।
17- पुलिस उपाधीक्षक, प्रभारी जिला पिथौरागढ, उत्तर काशी, चमोली, टेहरीगढवाल तथा पौडीगढवाल ।
18- समस्त चीफ फायर आफिसर, उ0 प्र0 ।
19- शिविरपाल, उ0 प्र0, पुलिस केन्द्रीय भण्डार, कानपुर ।
20- समस्त सेक्टर आफिसर, उ0 प्र0 ।
21- समस्त जोन आफिसर, उ0 प्र0 ।
22- पुलिस मुख्यालय के विभाग-उक/10/12/15/18/19/1

विषयः- राजकीय कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उसके आश्रितों को राज्याधीन सेवा में लेना ।

:--:--

प्रतिलिपि शासनादेश सं0 6/12/1973-नियुक्ति-4-दिनांक 21-12-1973 तथा सामान्य नियम शासनादेश सं0 6/12/1973-नियुक्ति(4) दिनांक 7-10-74 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

2- कृपया शासनादेश द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार इस विषय को पूर्ण रूप से देखें तथा जो व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करते हों उनको पुलिस विभाग में भर्ती करने के सम्बन्ध में अपनी आख्या सहित अपने सम्बन्धित पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा पुलिस मुख्यालय आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

(ओम प्रकाश)
पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, उ0 प्र0 ।

:--:--

* जैदी/10-12*

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ

२- पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी० उत्तर प्रदेश लखनऊ

३- पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना विभाग उ०प्र० लखनऊ

४- अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक उ०प्र० लखनऊ

५- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश ।

६- पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष कार्याधिकारी उ०प्र० लखनऊ

७- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पी०ए०सी० सेक्टर उ०प्र०

८- पुलिस उप महानिरीक्षक, पी०ए०सी० मुख्यालय, लखनऊ

९- सहायक पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ

१०- अतिरिक्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक उ०प्र० लखनऊ

११- पुलिस उप महानिरीक्षक मुख्यालय के गोपनीय सहायक ।

१२- पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के गोपनीय सहायक ।

१३- पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय प्रथम तथा द्वितीय ।

१४- जिलाधिकारी पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

तिवारी

२४-१२-७४

मृत कर्मचारी के आश्रित की भर्ती

Appt. of dependents of deceased Govt. Servants

A-7/Dut

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या 6/12/1973-नियुक्ति-(4)
लखनऊ: दिनांक 7 अक्टूबर, 1974

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों
के तथा तद्विषयक समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवा काल में
मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली
बनाते हैं :-

उ० प्र० सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 74

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ — 1-(1) यह नियमावली उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के
आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी।

परिभाषायें — 2- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,

(क) 'सरकारी सेवक' का तात्पर्य उ० प्र० के कार्यकलाप के सम्बन्ध
में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो:-

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रूप से
नियुक्त किया गया था, या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है, तथापि ऐसे सेवायोजनों में
नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की हो।

स्पष्टीकरण :- नियमित रूप से नियुक्त का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में
भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।

(ख) 'मृत सरकारी सेवक' का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी
मृत्यु सेवा में रहते हुये हो जाय,

(ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-

(1) पत्नी या पति,

(2) पुत्र,

(3) अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ।

(घ) 'कार्यालय का प्रधान' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस
कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

नियमावली का लागू किया जाना — 3- यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़ कर जो उ० प्र० लोक
सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उ० प्र० के कार्यकलाप से सम्बधित लोक
सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव — 4- इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों,
विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी,
यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती — 5- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी
सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य

Read PC note & return for keeping in Dut file 10/4/75

कृ० पृ० उ० 2

को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर, भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायगा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

सेवायोजन के लिये आवेदन पत्र की विषय-वस्तु।

6- इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलषित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सूचना दी जायेगी:

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जिसमें वह कार्य कर रहा था और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था,

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्यौरे, विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बंधी ब्यौरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा, और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें, यदि कोई हों।

प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों।

7- यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा समस्त कुटुम्ब विशेषकर उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जायगा।

आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता

8-(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) चयन के लिये प्रक्रिया सम्बंधी अपेक्षाओं से, यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायगा किन्तु ... पद विशेष के लिये प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायेगी।

सामान्य अर्हताओं के सम्बंध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान।

9- किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि-

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है,

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत

कृ० प० उ० -3

व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे ।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी ।

(ग) पुरुष :- अभ्यर्थी की दशा में उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

10- राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वियन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे ।

***

* त्रैदी/10-12*

प्रतिलिपि शासनादेश सं० 6/12/1973-नियुक्ति(4) दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 द्वारा गुलाम हुसैन, आयुक्त एवं सचिव, उ० प्र० शासन, गृह(नियुक्ति)-अनुभाग-4, लखनऊ समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र० को सम्बोधित [illegible]

:-:-:

विषयः- सरकारी कर्मचारी के सेवा काल में मृत्यु होजाने की अवस्था में परिवार के सदस्यों को सेवा में लिया जाना।

:-:-:

अकस्मात् मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी सरकारी कर्मचारी की उसकी सेवा में रहते हुये/मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार को करुण स्थिति हो जाती है और परिवार को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। वर्तमान कठिन समय में ऐसे परिवार को अन्य स्रोतों से कुछ सहायता मिल भी जाय तो वह भरण-पोषण के लिये अपर्याप्त होती है दुखी परिवार के साथ उदारता की नीति अपनाना मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक है। अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाय तो उसके पुत्र अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य (पुत्री, पति अथवा पत्नी) को तुरन्त यथा सम्भव उसी विभाग में किसी ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाय, जिसकी वह सदस्य निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखता हो। ऐसे व्यक्तियों के लिये भर्ती सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया लागू नहीं होगी तथा आवश्यकतानुसार उनके लिये आयु सीमा भी शिथिलनीय होगी। इन निर्णयों को विधिक बल देने के लिये एक सामान्य नियम अलग से प्रसारित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त आदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर लागू नहीं होंगे।

:-:-:

संख्या 6(1)/12/1973-नियुक्ति-4

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

3- राज्यपाल, उ० प्र० के सचिव।

4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।

5- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों की सूचना के लिये समस्त मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के निजी सचिव।

:-:-:

ज़ैदी/10-12

A-7/Inst (6) (9)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
संख्या 18-62-75 दिनांक नवम्बर 25, 1975

सेवा में,

1- पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण तथा प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद ।

2- पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे, इलाहाबाद ।

3- पुलिस उप महानिरीक्षक, टेलीकाम तथा स्टेट रेडियो अधिकारी, पुलिस रेडियो स्टेशन, लखनऊ ।

4- स्टेट फायर आफिसर, उ०प्र०, लखनऊ ।

5- समस्त ज़िला पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० ।

6- समस्त सेनानायक, राज्य सशस्त्र पुलिस दल वाहिनी, उ०प्र० तथा बाहर प्रतिनियुक्ति पर ।

7- पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, अभिसूचना विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।

8- पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, सी०आई०डी०, उ०प्र०, लखनऊ ।

9- समस्त पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस अनुभाग, उ०प्र० ।

10- पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर ।

11- शिविरपाल, उ०प्र० केन्द्रीय भण्डार, कानपुर ।

12- उप पुलिस अधीक्षक, इन्चार्ज जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, टेहरीगढ़वाल तथा पौड़ीगढ़वाल ।

13- सेनानायक, रिक्रूट प्रशिक्षण स्कूल, सीतापुर/मुरादाबाद ।

14- सेनानायक/ पी०ए०सी० रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र चुनार, मिर्जापुर ।

15- समस्त जोन व सेक्टर आफिसर, उ०प्र० ।

विषय:- सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के सदस्यों को सेवा में लिया जाना ।

-:-

आपका ध्यान उपरोक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के परिपत्र पृष्ठांकन संख्या प्रथि-913-74 दिनांकित 23/26-12-74 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके साथ शासनादेश संख्या 6/12/1973-नियुक्ति-4 दिनांकित 21 दिसम्बर 1973 अधिसूचना संख्या 6-12/1973, नियुक्ति(4) दिनांकित 7 अक्तूबर 1974 की प्रतिलिपि पृष्ठांकित की गई थी । उक्त शासनादेशों में शासन ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा काल मृत्यु हो जाय तो उसके पुत्र अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य (पुत्री, पति अथवा पत्नी) को तुरन्त यथा सम्भव उसी विभाग में किसी ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जिसकी वह सदस्य निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखता हो।

जैसा कि आपको विदित है मिनिस्टीरियल पुलिस संवर्ग में नियुक्ति हेतु समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची बनाने हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है एवं इस सूची में मेरिट के आधार पर अनुमोदित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है जिसके अनुसार उनके स्थायीकरण एवं प्रोन्नति के बारे में भविष्य में कार्यवाही की जा सके। शासन के आदेशानुसार मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को भर्ती सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया लागू नहीं होनी है किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करना आवश्यक होगा। निर्णय लिया गया है कि मिनिस्टीरियल पुलिस संवर्ग में नियुक्ति हेतु ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों का चयन केन्द्रीय स्तर पर पुलिस मुख्यालय द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाय जिससे अनुमोदित

अभ्यार्थियों के साथ इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण आदि में बाद में कोई कठिनाई न उत्पन्न हो सके। इस प्रकार नियुक्त अभ्यर्थी अनुमोदित समझे जायेंगे।

ऐसे अभ्यार्थियों के भर्ती के सम्बन्ध में शासन द्वारा बनाई गई नियमावली में अन्य औपचारिकताओं के अतिरिक्त यह अपेक्षा की गई है कि नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित उस जिले/इकाई के अधिकारी के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करना चाहिये जिसके अधीन मृत्यु के पूर्व सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी सेवा रत था। आवेदन पत्र में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सूचना दी जायगी:-

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक पद, पदनियुक्ति स्थान जहाँ वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था,

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आयु सम्बन्धी ब्योरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा,

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें यदि कोई हो।

(ङ) आवेदक का मृत सरकारी कर्मचारी से सम्बन्ध।

(च) चरित्र के बारे में दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों का प्रमाण पत्र जो आवेदक से सम्बन्धित न हों।

(छ) विवाहित/अविवाहित। यदि विवाहित हो तो जीवित पत्नियों की संख्या,

(ज) इसके पूर्व कहीं सेवारत रहा है तो उसका पूर्ण विवरण तथा सेवा त्यागने का कारण।

(झ) यदि वर्तमान समय कहीं सेवारत हो तो उसका पूर्ण विवरण।

प्रायः यह पाया जाता है कि ऐसे अभ्यार्थियों अपनी नियुक्ति हेतु अपना आवेदन पत्र सीधे पुलिस मुख्यालय को भेज देते हैं जिसे उपरोक्त औपचारिकताओं के समाधान कराने के लिये उन्हें इस आशय के साथ लौटा दिया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र उस अधिकारी के माध्यम से विचारार्थ प्रस्तुत करें जिसकी अधिनस्तता में मृत्यु के पूर्व सरकारी कर्मचारी सेवा रत था। फलतः ऐसे अभ्यार्थियों के आवदेन पत्रों पर अन्तिम रूप से विचार करने में पर्याप्त विलम्ब हो जाता है जबकि शासन की स्पष्ट मन्शा है कि उनकी अर्हता के अनुसार उन्हें उपर्युक्त पद पर यथा शीघ्र नियुक्ति प्रदान कर दी जाय। यह भी देखने में आया है कि ऐसे अभ्यर्थी को बिना पुलिस मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये जिलों/इकाइयों में नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है जो अनियमित है। यदि इस प्रकार के कोई मामले हो तो उनके सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय की स्वीकृति यथा शीघ्र प्राप्त कर ली जाय।

भविष्य में ऐसे आवेदकों के नियुक्ति के बारे में यथाशीघ्र आदेश निर्गत करने के उद्देश्य से आप से अपेक्षा की जाती है कि मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा नियुक्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्रों को जिनमें उपरोक्त सूचनायें अवश्य दी गई हो, अपनी निश्चित एवं स्पष्ट संस्तुति सहित निम्नलिखित सूचनाओं के साथ पुलिस मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु यथाशीघ्र अग्रसारित करें:

1- मृत्यु का पूर्ण विवरण,

2- मृत सरकारी कर्मचारी का सेवा विवरण -
(क) भर्ती का दिनांक
(ख) नियुक्ति नियमित, आकस्मिक अथवा तदर्थ थी,
(ग) स्थाई अथवा अस्थाई,

3- यदि एक से अधिक आश्रित आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हो तो उनमें से जिसके नियुक्ति हेतु संस्तुति की जाती है, कारण अंकित करें,

4- संदर्भित शासनादेश के अन्तर्गत इससे/कुटुम्ब के किसी आश्रित सदस्य को नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई है अथवा नहीं? यदि इससे पूर्व भी सुविधा दी गई है तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय कि किस सम्बन्धी को किस पद पर नियुक्ति दी गई है तथा इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या एवं दिनांक का [illegible] निुयुक्ति प्रदान की गई हो।

मिनिस्ट्रीयल पद के अतिरिक्त यदि किसी अन्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाय तो ऐसे आवेदन पत्रों को उपरोक्तानुसार अग्रसारित किया जाय, जिससे पुलिस मुख्यालय में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(ओम प्रकाश) 24/11/95
पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक पूर्ववत -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रस्तुत:-

1- अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
2- पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।
3- पुलिस उप महानिरीक्षक, पी0ए0सी0, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त पी0ए0सी0 सेक्टर, उ0प्र0।
5- पुलिस उप महानिरीक्षक, ऐन्टी डकैती आपरेशन, आगरा।
6- सहायक पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7- विभाग 5 एवं 10 पुलिस मुख्यालय।

गोऊ/1 511

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद
संख्याः18/ए-1(05)2008, दिनांकःफरवरी 21,2008

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 के अधीन सरकारी कर्मचारियो की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के आश्रितो में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में "फूलप्रूफ सिस्टम" को लागू किया जाना।

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में यह तथ्य संज्ञान में लाना है कि विगत वर्षों से कतिपय मृतक आश्रितों को सेवायोजन दिये जाने के फर्जी मामले प्रकाश में आने एवं रिट याचिका संख्या 11505/2006 अवनीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे संज्ञान में लिये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या 146/6-पु0-10/2008-1200(173)/07, दिनांक 24.01.2008 द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली-1974 के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया को और अधिक फुल प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2 उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से समय समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का अतिक्रमण करते हुये वर्तमान में निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

2अ-मृतक आश्रितो के सेवायोजन का प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

(1) मृतक आश्रितो के सेवायोजन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन उल्लिखित प्रावधान के अर्न्तगत ही तैयार किया जायेगा।

(2) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित से सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र लिया जायेगा जिसमे दिनांक व हस्ताक्षर अकिंत होगा साथ ही सक्षम प्राधिकारी का पृष्ठाकंन अवश्य अकिंत होगा जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि उक्त आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र पॉच वर्ष के अन्दर दिया गया है अथवा बाद में।

(3) मृतक आश्रित द्वारा दिये गये समस्त शैक्षिक [illegible] पत्रो का सत्यापन सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एंव विश्वविद्यालय से [illegible] जायेगा तथा हाई स्कूल से कम शिक्षित होने पर उसके शैक्षिक प्रमाण-पत्र [illegible] सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक से कराया जायेगा, आरक्षित वर्ग के [illegible] के जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के [illegible] से कराया जायेगा। सभी सत्यापन आख्याये प्रस्ताव के साथ मूलरूप में [illegible] पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जायेंगी तथा इसकी द्वितीय प्रति सम्बन्धित जनपद/इकाई के पत्रावली पर रखा जायेगा जो स्थाई अभिलेख होगा।

(4) यदि किसी मामले में एक से अधिक आश्रित [illegible] हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते है तो सक्षम अधिकारी उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-7 में दिये गये प्रावधानों के

अन्तर्गत अधिकारी का प्रयोग करते हुये उपयुक्त मृतक आश्रित का चयन की प्रस्ताव तैयार करायेगे।

(5) पुलिस मुख्यालय भेजे जाने वाले मृतक आश्रितों के सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव का चेकलिस्ट प्रारूप 36 बिन्दुओं को होगा, जिसमें प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट सूचना अंकित करने के उपरान्त चेक लिस्ट में अंकित बिन्दुओं के समक्ष भेजे जाने वाले प्रपत्रों का परिशिष्ट के रूप में उल्लेख किया जायेगा।(चेकलिस्ट प्रारूप की प्रति संलग्न है)

(6) मृत कर्मचारी से सम्बन्धित सभी सूचनायें उसके सेवाभिलेख में अंकित तथ्यो के आधार पर ही अंकित की जायेगी जन्मतिथि/भर्ती की तिथि एंव मृत्यु की तिथि के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में वे क्रमशः सेवा अभिलेख के प्रथम-पृष्ठ एंव मृत्यु का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।

(7) मृत कर्मचारी के कुटुम्ब की सूची के सम्बन्ध में पेंशन भाग-2 की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।

(8) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली- 1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन सेवायोजन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मृत कर्मचारी के मूल निवास एंव अस्थाई निवास(यदि कोई हो) के पते पर राजपत्रित अधिकारी से जॉच कराई जायेगी जिसमें चेक लिस्ट के प्रारूप के बिन्दु संख्या-18 के अनुरूप स्पष्ट आख्या प्राप्त की जायेगी । जॉच आख्या प्रस्ताव के साथ मूलरूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वंय प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर प्रेषित की जायेगी।

(9) सेवायोजन हेतु मृत कर्मचारी की पत्नी से इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है प्रारूप "क" में शपथी के फोटोग्राफ युक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूलरूप में प्रेषित किया जायेगा।

(10) सेवायोजन हेतु मृत कर्मचारी के परिवार के अन्य समस्त वयस्क सदस्यो का इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वे किसे सेवायोजन दिलाना चाहते है । प्रारूप "ख" में शपथी के फोटोग्राफ युक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूलरूप में प्रेषित किया जायेगा।

(11) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित से प्रारूप "ग" में शपथी के फोटोग्राफ युक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूलरूप में प्रेषित किया जायेगा।

(12) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली- 1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन किसी भी आश्रित को सेवायोजन का लाभ नही दिया गया है से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र-घ भर कर प्रेषित किया जायेगा।

(13) मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन उसके स्थाई व अस्थाई पते तथा अभिसूचना मुख्यालय से कराया जायेगा जिसे मूलरूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा। चरित्र सत्यापन प्रपत्र पर मृतक आश्रित अभ्यर्थी की फोटोग्राफ चस्पा होगी जिसे सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा किस व्यक्ति का सत्यापन किया गया है।

(14) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो छः माह से अधिक का न हो मूलरूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।

(15) मृतक आश्रित का पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ प्रस्ताव के प्रस्तर-30 के समक्ष चस्पा किया जायेगा एंव दो फोटोग्राफ अलग से सादे कागज पर चस्पा किया जायेगा जिस पर मृतक आश्रित का विवरण अकिंत किया जायेगा जिसे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वंय ही प्रमाणित किया जायेगा।

(16) मृतक आश्रित का नाप जोख सादे कागज पर किया जायेगा। प्रतिसार निरीक्षक निरीक्षक द्वारा नाप जोख स्वंय किया जायेगा और अपने हाथ से नाप अकिंत की जायेगी तथा प्रमाण-पत्र आश्रित को फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा। प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर के साथ नाम पदनाम की मुहर एंव दिनाक अंकित की जायेगी प्रमाण-पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कटिंग अथवा ओवर राइटिंग नही की जायेगी। प्रमाण पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वंय प्रतिहस्ताक्षरित कर मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित किया जाय। जिसका प्रारूप संलग्न है।

(17) मृतक आश्रित का चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल मैनुअल में निर्धारित प्रारूप में ही किया जायेगा यदि किसी पद पर नाप जोख की आवश्यकता होगी तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नाप जोख साथ वजन भी अकिंत किया जायेगा, तथा प्रमाण-पत्र पर आश्रित का फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर के साथ नाम पदनाम की मुहर एंव दिनाक अकिंत की जायेगी प्रमाण-पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कटिंग अथवा ओवर राइटिंग नही की जायेगी। प्रमाण पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वंय प्रतिहस्ताक्षरित कर मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित किया जाय

(18) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन इस आशय का प्रमाण-पत्र की प्रस्तावित मृतक आश्रित के सम्बन्ध मे प्रेषित की जाने वाली सभी सूचनाओ का भली भाति परीक्षण कर लिया गया है। अंकित सूचनाये एंव संलग्न प्रपत्र पूर्णता सत्य है एंव प्रकरण का पुलिस कार्यालय में रखे मृतक आश्रितो के सेवायोजन प्रदान किये जाने विषयक स्थायी रजिस्टर में क्रमांक पर अंकित कर दिया गया है से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र-घ भर कर प्रेषित किया जायेगा ।

(19) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 एंव 2006 के अन्तर्गत तैयार किये गये प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर एंव उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों पर स्वंय कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर पदनाम की मुहर के साथ अंकित होगा तथा कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर के द्वारा ही भेजा जायेगा।

(20) मृतक आश्रित के सेवायोजन प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद/इकाई के क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक अथवा जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी ही लेकर आयेंगे। इस आशय का प्राधिकार पत्र भी लायेगें कि उन्हें सेवायोजन प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है, प्राधिकार पत्र में भेजे जाने प्रस्तावों का उल्लेख होगा तथा नामित अधिकारी का हस्ताक्षर सम्बन्धित जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा। इस हेतु अपने साथ अपने नाम व पदनाम की मुहर अवश्य लायेंगे अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिससे उनसे सेवायोजन के सत्यापन का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सके । प्रमाण-पत्र का प्रारूप संलग्न है ।

(21) पीएसी वाहिनियो के मृतक आश्रित के सेवायोजन प्रस्ताव दो प्रतियों पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा क्योकि प्रस्ताव अनुमोदनोपरान्त

आवश्यक कार्यवाही हेतु पीएसी मुख्यालय को भेजा जाता है तथा इसकी प्रति ... मुख्यालय मे रखी जायेगी।

(22) प्रस्ताव के साथ कार्यालय के सम्बन्धित सहायक मृतक आश्रित के सेवायोजन की मूल पत्रावली सहित अनिवार्य रूप से राजपत्रित अधिकारी के साथ पुलिस मुख्यालय में आयेंगे।

(23) मृतक आश्रित का जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, उसकी एक अतिरिक्त प्रति स्व0 कर्मी के सम्बन्धित प्रस्तावक कार्यालय में स्थायी रूप से रखा जायेगा, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जायेगा। यह स्थायी अभिलेख होगा।

(24) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के प्रकरण में जो भी पत्राचार जनपद/इकाई से किया जायेगा उस पत्र पर अधिकारी का नाम/पदनाम अंकित होगा अन्यथा पुलिस मुख्यालय द्वारा उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा ।

<u>2ब- पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन आदेश के उपरान्त मृतक आश्रितो को नियुक्ति आदेश दिये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व</u>

(1) पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमोदन "बारकोड" युक्त अनुमोदन पत्र निर्गत किया जायेगा तथा अनुमोदन आदेश पर आश्रित का जनपद/इकाई से प्राप्त प्रमाणित फोटो चस्पा रहेगा । कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी "बारकोड" एंव फोटोयुक्त अनुमोदन आदेश मूल रूप में प्राप्त होने पर ही सेवायोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

(2) कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के पक्ष में सेवायोजन हेतु पुलिस मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त स्वयं आश्रित का साक्षात्कार लेंगे एवं पूर्णरूपेण संन्तुष्ट होने के उपरान्त कि वह वास्तव में मृतक आश्रित है तथा सब प्रकार शासकीय सेवा हेतु अर्ह है। इसके सेवायोजन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है, तभी उसे सेवायोजित करने की कार्यवाही करेंगे।

(3) मृतक आश्रित की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति अधिकारी पूरी तरह संन्तुष्ट होने के उपरान्त मृतक आश्रित से एक शपथ-पत्र जिसमें उसका फोटोग्राफ भी चस्पा होगा, लेंगे, जिसमें स्व0 कर्मी का नाम, पदनाम,मृत्यु का दिनांक तथा उसके वास्तविक मृतक आश्रित होने एवं परिवार के अन्य किसी सदस्य द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ न लिये जाने का उल्लेख होगा। उक्त शपथ-पत्र की एक प्रति आश्रित के सेवायोजन पत्रावली पर रखा जायेगा तथा दूसरी छायाप्रति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रमाणित करते हुये मृतक आश्रित के नियुक्ति आदेश की प्रति सहित कार्यालय प्रधान अपने स्वयं के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा इसे पुलिस मुख्यालय अग्रसारित करेंगे .(आश्रित से नियुक्ति के पूर्व लिये जाने वाले शपथ-पत्र संलग्न प्रारूप में लिया जायेगा)

(4) मृतक आश्रितो के पक्ष में जनपद/इकाई स्तर से निर्गत होने वाले नियुक्ति आदेश का आलेख सादे "फुलस्केप पेपर" पर संलग्न प्रारूप में ही निर्गत किया जायेगा (नियुक्ति आदेश का प्रारूप संलग्न है)

(5) इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि विगत वर्षों में कतिपय मृतक आश्रितों के फर्जी सेवायोजन के मामले प्रकाश में आने के फलस्वरूप शासन ने शासनादेश संख्या:146/6-पु0-10/2008-1200(173)/07, दिनांक 24.01.200[illegible] द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया को अ[illegible] अधिक फुल प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं। अत: एस0आई0(एम)/आशुलिपिक तथा उपनिरीक्षक ना0पु0 के दक्षता मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश पुलिस मुख्यालय स्तर से नहीं निर्गत किये जायेगे है। यह आदेश भविष्य में सम्बन्धित जनपद/इकाई के परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, के स्तर से, पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन आदेश निर्गत किये जाने के उपरान्त, नियमानुसार निर्गत किये जायेगे।

Sd/- 24/2

(6) किसी भी मृतक आश्रित को सर्वप्रथम उसी जनपद/इकाई में नियुक्ति प्रदान की जायेगी, जिस जनपद/इकाई से आश्रित के स्व0 पिता/पति की मृत्यु हुयी। किन्तु यदि आश्रित महिला है और उसे कान्सटेबिल के पद पर नियुक्त किया जाना है तो उसकी नियुक्ति आदेश सम्बन्धित वाहिनी/इकाई के जनपदो में ही की जायेगी क्योकि पीएसी वाहिनियों में महिला आरक्षियों की नियुक्ति नहीं की जाती है तथा इकाई में महिला आरक्षियो की किट नही होती है।

(7) मृतक आश्रित के सेवायोजन के उपरान्त उसके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष तक उसे किसी परिस्थिति में वहाँ से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा, तथापि यदि किसी स्तर से उसका स्थानान्तरण हो जाता है, तो सम्बन्धित जनपद/इकाई से उक्त आश्रित को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष तक किसी भी परिस्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्बन्धित कार्यालय स्वंय उत्तरदायी होगें । यदि किन्ही विशेष परिस्थिति मे ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो तो इस सम्बन्ध मे पूर्ण विवरण प्रेषित कर पुलिस मुख्यालय का स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिया जाय ।

3. कृपया मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजित करने के सम्बन्ध में दिये जा रहे दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह परिपत्र कार्यालय की गार्डफाइल में स्थाई रूप से रखा जायेगा।
संलग्नक उपरोक्तानुसार ।

Smile 24/1/08

डा0 संजय एम0 तरडे
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि: विशेष सचिव(गृह),उत्तर प्रदेश शासन,गृह पुलिस अनुभाग-10, लखनऊ को शासन के निर्देश संख्या:146/6-पु0-10/2008-1200 (173)/07, दिनांक 24.01.2008 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- पुलिस महानिदेशक के सहायक,उत्तर प्रदेश लखनऊ
3- पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।
5- समस्त विशेष कार्याधिकारी,पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।
6- अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-20 को पाँच प्रतियों गजट एंव गार्ड फाइल पर रखने हेतु ।
7- समस्त अनुभाग अधिकारी पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद
8- समस्त गोपनीय सहायक,,पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।

परिशिष्ट-"क"

मृतक के आश्रित के सम्पूर्ण परिवार (आश्रित पत्नी, पुत्रियां तथा पुत्रों) द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप ।

1- यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम------------------------ पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0--------------------------- निवासी ग्राम--------------------पोस्ट-------------थाना------------------जिला-----------------का निवासी हूँ ।

2- यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरे पति/पिता श्री-----------------------------------पुलिस विभाग में (पद का नाम का उल्लेख करे) पर (जनपद के नाम का उल्लेख करें) में थाना--------------या कार्यालय--------------में कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक:---------------को (बीमारी/मुठभेड़ या अन्य कारण जो भी अंकित करें) हो चुकी है ।

3- यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल के सनद के अनुसार) है । समस्त श्रोत से प्राप्त की गयी मेरी मासिक आय---------------है । तथा वार्षिक आय----------है । मेरी शादी वर्ष---------- मे हुई मेरी पत्नी/पति का नाम ------------------ है ।

4- यह कि मैं बहलफ पर बयान करता हूँ कि मेरे स्व0 पति/पत्नी पिता के स्थान पर मृतक आश्रित नियमावली-1974 के अन्तर्गत मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई नाम------------ पुलिस विभाग में पद------------ पर सेवायोजित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है ।

5- यह कि बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक आश्रित नाम--------------------------- स्व0----------------------- के वारिस है ।

6- यह कि बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक स्व0--------------------- के स्थान पर अभी तक किसी को नौकरी नही दी गयी है ।

7- यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य है यदि असत्य पाया गया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी ।

8- यह कि उपरोक्त बयान हलफी की धारा-1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान से सब सत्य है कुछ असत्य नही है एवं कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नही गया है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

परिशिष्ट–"ख"

मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने हेतु परिवार का शपथ पत्र ।

1– मैं शपथनी श्रीमती------ पत्नी--------------- स्व0--------- ग्राम------ पोस्ट----------- थाना--------- तहसील------------ जनपद--------------- की निवासिनी हूँ और शपथपूर्व निम्न कथन करती हूँ:-

2– यह कि शपथनी जन्म से भारतीय नागरिक है ।

3– यह कि शपथनी एवं शपथनी के परिवार के निम्न सभी सदस्य (सबका नाम) मेरे पुत्र/पुत्री नाम----- को पुलिस विभाग के पद----------- पर सेवायोजित कराना चाहते है।

4– यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नही किया गया है ।

5– यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य श्री------------- को मृतक आश्रित के रूप में सेवायेजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नही है । इनकी शैक्षिक योग्यता-------- है ।

6– यह कि मैं शपथनी एवं परिवार के समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से शपथ पत्र पर अंकित है, द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र की धारा–1 से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

शपथनी–
एवं परिवार के सदस्यों
के हस्ताक्षर ।

प्रपत्र-'ग'

सेवा, पुलिस उप महानिरीक्षक(स्थापना) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।

आवेदक का शपथ पत्र

नाम ------------------------------------उम्र लगभग----------------वर्ष--- पुत्र/पुत्री श्री ------------ निवासी---------------------------थाना----------------------- का शपथ पत्र।

मैं-------------------------उपर्युक्त अभिलाषी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1- यह कि मैं स्व0--------------का पुत्र/पुत्री/पत्नी/अविवाहित/ विधवा पुत्री हूँ । जो मृत्यु से पूर्व उ0प्र0 पुलिस में------ पद ----------------------स्थान पर कार्यरत थे ।

2- यह कि मै उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में --------------------पद पर नियुक्ति हेतु जिला ------------------------से एक मृतक आश्रित अभ्यर्थी हूँ । इस पद हेतु यदि मुझे अर्ह अथवा पद के सापेक्ष अपेक्षित योग्यता/कुशलता के न्यूनतम स्तर के अनुकूल नही पाया जाता तो मै अन्य किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हूँ ।

3- यह कि मेरे विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नही हुआ है और न ही कोई पुलिस विवेचना लम्बित है ।

4- यह कि मै किसी राष्ट्र विरोधी राजनैतिक पार्टी का कभी सदस्य नही रहा हूँ और न हूँ ।

5- यह कि कभी मुझे अपराधिक मामले मे गिरफतार नही किया गया है ।

6- यह कि मेरा कभी अपराधिक मामले में पुलिस में चालान नही किया गया है ।

7- यह कि आवेदन पत्र में उल्लेखित यदि कोई बात किसी भी समय असत्य पायी जाय अतः किसी सत्य को छिपाया गया हो तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय तथा मुझे विधिक दण्ड दिया जाय ।

8- यह कि आवेदन पत्र भरने के दस वर्ष पूर्व तक किसी विध्वसंक कार्य में भाग नही लिया ।

9- यह कि अपराधिक मामले जो मेरे विरूद्ध पंजीकृत हुए है या जिसमें मेरा चालान किया गया था जो मेरे विरूद्ध विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस है उनका विवरण निम्नवत् है:-

10- यह कि यदि इस शपथ पत्र मे अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाये जाये तो कोर्स/सर्विस से तुरन्त पृथक कर दिया जावे तथा विधिक दण्ड दिया जाय ।

11- मै---------------------------पत्नी/पुत्र/पुत्री स्व0 श्री-------------------------------प्रमाणित करता हूँ कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा किसी नियंत्रित किसी निगम में कभी भी सेवा से पदच्युत नही किया गया/करता हूँ ।

(12) मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं हूँ ।

(13) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पिता/पति की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के किसी आश्रित को (जिसमें मैं भी शामिल हूँ) उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन कभी भी सेवायोजित नहीं किया गया है।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

मैं ..... उपयुक्त अभिसाक्षी, शपथपूर्वक सत्यापित करती/करता हूँ कि इस शपथ पत्र के प्रस्तर ..... में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य है, इस शपथ पत्र के प्रस्तर..... में उल्लिखित तथ्य अभिलेखों पर आधारित है, इस शपथ पत्र के प्रस्तर..... में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है, इस शपथ पत्र में उल्लिखित..... प्रस्तर तथ्य विधि सलाह पर आधारित है और जिन्हें मैं विश्वास करती/करता हूँ कि वह भी सत्य है, इसकाकोई भी अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है । अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करें ।

शपथ कर्ता/अभिसाक्षी का निशान-अंगूठा

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

******

आज दिनांक..... को .....बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला के प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

****

(नियुक्ति देने के पूर्व मृतक आश्रित से लिये जाने वाले शपथ-पत्र)

शपथ-पत्र का प्रारूप-2

शपथी का फोटोग्राफ नोटरी द्वारा प्रमाणित

नाम----------उम्र-----वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0 ----------
निवासी ग्राम ---------- पोस्ट ---------- थाना -------- जनपद--------
का शपथ-पत्र

मैं ----------उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन
करता है:-

(1) यह कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सूचना/शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिया गया है वह सही है।

(2) यह कि शपथी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध में दिये गये मृतक कर्मी के सम्बन्ध मे नाम/पद/नियुक्ति का विवरण आदि सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है।

(3) यह कि शपथी के परिवार में स्व0 कर्मी की मृत्यु के बाद किसी भी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ नहीं लिया गया है

(4) यह कि शपथ-पत्र के प्रस्तर- 1 से 3 तक में अंकित कथन सत्य है तथा शपथी द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

C.C. 111.

परिशिष्ट-"च"

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मृत सरकारी सेवक के किसी आश्रित को मृतक आश्रित सेवा नियमावली-1974 के अन्तर्गत कभी भी सेवायोजित नही किया गया है ।

यह मृतक स्व0--------------------के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी ---------------

को पद------------पद सेवायोजित किए जाने का प्रथम प्रकरण है । यह प्रकरण सत्य है एवं मेरे द्वारा पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है ।

दिनांक:

(नाम एवं हस्ताक्षर)

(वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर नाम की मुहर लगाई जाय)

परिशिष्ट - "च"

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रारूप के कालम 1 से 30 तक अंकित सम्पूर्ण सूचनाओं का मेरे द्वारा भली भांति परीक्षण कर लिया गया है। अंकित सूचनाएं एवं संलग्न प्रपत्र पूर्णतः सत्य है एवं आवेदक मांगे गये पद की योग्यता रखता है तथा इस प्रकरण का कार्यालय में रखे इकाई रजिस्टर के क्रमांक---- पर अंकन कर दिया है ।

(नाम एवं हस्ताक्षर)

(वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर नाम की मुहर लगाई जाय)

चेक लिस्ट/प्रस्ताव

उ0प्र0 मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली–1974 सपठित नियमावली–1993, 2006 के अधीन सरकार कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रुप में सेवायोजन प्रदान किये जाने विषयक।

क्र0 सं0	विषय	विवरण
1	मृत सरकारी सेवक का नाम।	
2	मृत सरकारी सेवक का पदनाम।	
3	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु पूर्व नियुक्ति स्थान/कार्यालय का नाम।	
4	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवा अभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय।)	
5	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि।	
6	मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ/नियमित/ स्थाई /अस्थाई/आकस्मिक)	
7	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण–पत्र के अनुसार, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया जाय।)	
8	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की परिस्थतियों का संक्षिप्त विवरण।	
9	मृत सरकारी सेवक मृत्यु के समय डियूटी पर था अथवा अवकाश पर।	
10	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों का नाम, आयु(हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार) तथा आय व वैवाहिक स्थिति।	
11	मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नियॉं हो तो पत्नियों के नाम, आयु(हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार)	
12	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र कि वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है, का विवरण एवं परिवार के समस्त सदस्यों वयस्क/ अवयस्क दोनों का विवरण (नाम/आयु/शिक्षा/व्यवसाय) अंकित होना सम्मिलित हो से सम्बन्धित शपथ–पत्र(प्रारूप–क)	
13	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों का वार्षिक आय का विवरण।	
14	इस आशय का प्रमाणपत्र कि स्थाई अभिलेख/पेशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची से सेवायोजन प्रस्ताव के लिये प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली गयी, कोई अन्तर नहीं पाया गया है पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की प्रमाणित प्रति (पेशन प्रपत्र भाग–2 संलग्न किया जाय।)	
15	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों का शपथ पत्र/सहमत जिन्हें सेवायोजन दिलाना चाहते है, के पक्ष में (प्रारूप –ख)	

16	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये पीपीओ/जीपीओ की संख्या व दिनांक(प्रमाण हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	
17	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यों द्वारा सेवायोजन की मॉग की जा रही है तो उनमें से जिस आश्रित को नामित किया जा रहा है उसे नामित किये जाने का कारण सहित विस्तृत विवरण अंकित करें।	
18	मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली–1974 के अंर्तगत इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट किया जाये कि किस संबन्धित को किस पद पर नियुक्ति दी गयी है तथा इस संबन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख करें।	
19	इस आशय का प्रमाण–पत्र कि मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को उ0प्र0 मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 सपठित नियमावली 1993, 2006 के अधीन सेंवायोजन का लाभ प्रदान नहीं किया गया है से सम्बन्धित प्रमाण प्रत्र (प्रारूप–घ)	
20	मृत सरकारी सेवक के धर के पते(स्थाई/अस्थाई) पर संबन्धित क्षेत्राधिकारी से करायी गयी जॉच आख्या की मूलप्रति जिसमें मृतक के कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को पूव्र में सेवायोजन का लाभ तो प्रदान नहीं किया गया है तथा वयस्क/अवयस्क सदस्यों की वैवाहिक स्थिति तथा आय का श्रोत और यदि किसी सेवा में है तो उसका विवरण संबन्धित प्रमाण–पत्र।	
21	मृतक आश्रित का नाम।	
22	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल के सनद अथवा जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार अंकों तथा शब्दों में।	
23	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता।	
24	मृत सरकारी सेवक के आश्रित का शपथ पत्र जिन्हें सेवायोजन हेतु नामित किया गया है।(प्रारूप–ग)	
25	मृतक आश्रित का प्रार्थनापत्र जिसमें शैक्षिक योग्यता, आयु, अपेक्षित पद का उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाण–पत्र(यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनांक सहित)	
26	शैक्षिक प्रमाण–पत्रों/अंक तालिकाओं का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय से एवं हाईस्कूल से कम शिक्षित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या(कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	
27	मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व अस्थाई पते पर तथा अभिसूचना मुख्यालय से कराया गया चरित्र सत्यापन आख्या मूलरुप में संलगन की जायेगी।	
28	मृतक आश्रित के पक्ष में दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो छः माह से पुराना न हो।	
29	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो जीवित पत्नी का नाम/आयु व शैक्षिक योग्यता।	
30	मृतक आश्रित से निम्न स्थिति में तत्संबन्धी विवरण सहित इस आशय का घोषणा–पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाये कि– 1–यदि वर्तमान समय में मृतक आश्रित कहीं सेवारत है। 2–यदि पूर्व में सेवारत रहा हो। 3–यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया हो। 4–यदि सेवा से पृथक कर दिया गया हो तो	
31	यदि मृतक आश्रित आरक्षित वर्ग का है तो जाति प्रमाण–पत्र(जो जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा)	

तक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छः माह से पुराना न हो वस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय।	
तक आश्रित का शारीरिक नापजोख छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ स्पा कर प्रमाणित करें(प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण पत्र) कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	
तक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र जो छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ स्पा कर प्रमाणित करें(मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया माण–पत्र)(कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	
स आशय का प्रमाण पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के वायोजन का विवरण स्थाई रुप से रखे गये(मृतक आश्रित सेवायोजन जिस्टर) में अंकित कर दिया गया है से संबन्धित प्रमाण–पत्र।(प्रारूप–च)	
स आशय का प्रमाण–पत्र कि उपरोक्त क्र0सं0–1 से लेकर क्र0स0–35 तक कित सभी प्रविष्टियों को मेरे द्वारा भलीभॉति जॉच कर लिया गया है जो चनायें अंकित है वे सही है एवं आवेदक द्वारा मॉगे जा रहे पद पर वायोजन की संस्तुति की जाती है।(आपेक्षित पदनाम का उल्लेख कार्यालयाधक्ष द्वारा करते हुए संस्तुति की जायेगी।)	

(8) (10)

परिशिष्ट 3-2

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या: 4/7/19/979-कार्मिक-2
लखनऊ: दिनांक: दि 28 फरवरी, 1981

अधिसूचना

प्रक्रिया

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है ।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली 1981

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली 1981 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नये नियम 5 क

2-उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियमावली 1974 में, नियम-5 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा ।

सदैव से बढ़ाया गया समझा जायेगा ।

मई 1973 में पुलिस/पीएसी कर्मियों के कुटुम्ब के सदस्य की भर्ती

5-क-नियम-5, या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस या प्रादेशिक आर्म्स कान्स्टेबुलरी के ऐसे वाईस कान्स० के जिनकी मृत्यु मई 73 में हुए उपद्रव के परिणाम स्वरूप हुई थी, कुटुम्ब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते है ।

आज्ञा से,

ह०/- मोहन चन्द्र जोशी,
सचिव ।

संख्या: 4/7/1979(1)/कार्मिक-2

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2- पुलिस महानिरीक्षक पुलिस/पीएसी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4- सचिव के समस्त विभाग ।
5- राज्यपाल के सचिव उत्तर प्रदेश ।
6- मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के निजी सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार,
कार्मिक अनुभाग-2,
संख्या: 6/12/1973-कार्मिक-2,
लखनऊ: दिनांक 12 अगस्त, 1991

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली-1991.

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम-3 का प्रतिस्थापन

2- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-3 के स्थान पर, नीचे स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा दिया जाएगा, अर्थात —

	स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियमावली का लागू किया जाना	3- यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी ।	नियमावली का लागू किया जाना. 3- यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़ कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और कालान्तर में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रखा दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी ।

....2

नियम-8 का संशोधन 3- उक्त नियमावली के उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा दिया जाएगा, अर्थात——

"(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी: प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्यक पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जाएगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।"

आज्ञा से,

ह०/-

(ओ०पी०आर्य)
सचिव।

संख्या:6/12/1973(1)कार्मिक-2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
5- आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

ह०/-

(जय दयाल पुरी)
संयुक्त सचिव।

61

(58)

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 6/12/73-का0-2/93

लखनऊ, 16 अप्रैल, 1993

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है --

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम-5 का संशोधन

2-- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम--5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

स्तम्भ-1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ--2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती	5-- (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथासाध्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।	मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती 5-- (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्ति :-- (एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो, (दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :

स्तम्भ--1	स्तम्भ--2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय से किसी विशिष्टि मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय-संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
	(2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व, सेवायोजित था।

आज्ञा से,
ओ० पी० आर्य,
सचिव।

संख्या: 6/12-1973(1)का०-2-93 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ० प्र०
2--सचिव, श्री राज्यपाल, उ० प्र०।
3--सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।
4--नियन्धक, उच्च न्यायालय, उ० प्र०, इलाहाबाद/लखनऊ।
5--आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उ० प्र०,लखनऊ।
6--निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ० प्र०,लखनऊ।
7--समस्त सलाहकारों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
8--सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9--सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।
10--समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

आज्ञा से,
डा० जी० डी० माहेश्वरी
संयुक्त सचिव।

(65)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12/73-का0-2-1994

लखनऊ, 21 अप्रैल, 1994

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का संशोधन

2.—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:—

	स्तम्भ-1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती	5.—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्ति :—	मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती	5.—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में ऐसे पद को छोड़कर, किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या, जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसके बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति :—
	(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो,	(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,
	(दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो, और	(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और
	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :
	परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले	परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत

स्तम्भ—1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।	समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।
(2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था ।	(2) ऐसा सेवायोजन, यथासंभव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था ।

आज्ञा से,

आर० बी० भास्कर,

सचिव ।

संख्या 6/12/73-का0-2-94 (1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

2—सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

3—सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

4—निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ ।

5—आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जन-जाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6—निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

7—समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव ।

8—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

9—सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

डा0 जी0 डी0 माहेश्वरी,

विशेष सचिव ।

(73)

क्रम-संख्या—

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस0 एस0 पी0-41
लाइसेन्स टु पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 20 जनवरी, 1999
पौष 30, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12/73-का0-2-1999

लखनऊ, 20 जनवरी, 1999

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0 प0 नि0—27

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती
(पांचवां संशोधन) नियमावली, 1999

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1999 कही जाएगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ—1 में दिए गए वर्तमान नियम—5 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् ;—

स्तम्भ—1

(वर्तमान नियम)

मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती

5—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में ऐसे पद को छोड़कर, किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या, जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है यदि ऐसा व्यक्ति :—

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

स्तम्भ—2

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती

5—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति :—

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार,

सचिव।

क्रम-संख्या—280 (ङ)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 12 अक्टूबर, 2001

आश्विन 20, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—2

संख्या 6/12-73-का -2-2001

लखनऊ, 12 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०—36.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठां संशोधन) नियमावली, 2001

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठां संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(31)

नियम-2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम-2 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :- 1—पत्नी या पति, 2—पुत्र, 3—अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।	(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :- 1—पत्नी या पति, 2—पुत्र, 3—अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां, 4—मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

नियम-5 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में नियम-5 में वर्तमान उपनियम 2 (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।"

4—जहां उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

आज्ञा से,
डा० हरिकृष्ण,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 500 राजपत्र (हिन्दी)—2001—(1281)—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 14 सा० नियुक्ति—23-10-2001—(1282)—8,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

क्रम संख्या-8

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग--2

संख्या 6/12/1973--कार्मिक--2/2006,

लखनऊ, 28 जुलाई, 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवां संशोधन) नियमावली, 2006

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमवली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवां संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2—नियम-5 का संशोधन—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए नियम-5 के स्थान पर, नीचे स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	**स्तम्भ-2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(5)—मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य	**5—मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती—**(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी नियम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :--	सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी नियम के अधीन पहले से सेवायोचित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :—
(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,	(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,
(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और	(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्टि मामले से अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय-संगत और साम्यपूर्ण रीति से कायवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।	परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्टि मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय-संगत और साम्यपूर्ण रीति से कायवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।
(2) ऐसा सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।	परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुये समुचित निर्णय लेगी।

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।	(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
(4) जहां उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उप नियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।	(4) जहां उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उप नियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

आज्ञा से,
उमेश सिन्हा,
सचिव।

OFFICE SRO (ADMIN)
Regn. No. 1732
Recd Date 13.9.12

क्रमांक संख्या-318

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर, 2011

पौष 01, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या–6 / 12 / 73–का–2 / 2011 टी०सी०–IV

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–89

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2011

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, नियम 2 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :– नियम 2 [illegible] संशो[illegible]

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :–	(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :–
1–पत्नी या पति,	(एक) पत्नी या पति,
2–पुत्र	(दो) पुत्र/दत्तक पुत्र,
3–अविवाहत पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ,	(तीन) अविवाहित पुत्रियाँ अविवाहित दत्तक पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ और विधवा पुत्र वधुएँ,
4–मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था,	(चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।
परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों मे से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।	(पाँच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी, परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों मे से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।

आज्ञा से,
कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII-1973-Personnel-2-2011 T.C.-IV, dated December 22, 2011:

Miscellaneous

No. 6/XII-1973-Personnel-2-2011 T.C.-IV

Dated Lucknow, December 22, 2011

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (NINTH AMENDMENT) RULES, 2011

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Ninth Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, in rule 2, for existing clause (c) set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :—

54
55

COLUMN-I *Existing Clause*	COLUMN-II *Clause as hereby substituted*
(C) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant :— (i) wife or husband; (ii) sons; (iii) unmarried and widowed daughters; (iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependent on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried: Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentaly unfit and thus incligible for employment in Government service, then only in such situation the word "family" shall also include the grandsons and the unmarried granddaughters of the deceased Government servant dependent on him.	(C) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant :— (i) wife or husband; (ii) sons/adopted sons; (iii) unmarried daughters, unmarried adopted daughters, widowed daughters and widowed daughters-in-law; (iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependent on the deceasd Government servant, if the deceased Government servant was unmarried; (v) aforementioned relations of such missing Government servant who has been declared as "dead" by the competent court: Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situatin the workd "family" shall also include the grandsons and the unmarried granddaughters of the deceased Government servant dependent on him.

By order,
KUNWAR FATEH BAHADUR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 569 राजपत्र (हि०)–(1411)–2011–599–(क०/आ०) ।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 11 सा० नियुक्ति–(1412)–2011–3000–(क०/आ०) ।

91.

संख्या-1203/छ:-पु0-10-2000-1200(8)/98

प्रेषक,

अनुज कुमार बिश्नोई,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-10. दिनांक 01 मई, 2000

विषय: उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन मृतक आश्रितों की पुलिस बल में नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम लम्बाई में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्रांक डीजी-चार-124(52)-91, दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 एवं 13 अगस्त, 98 तथा उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या पॉच-740(सेवा)-98, दिनांक 14-12-98 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की पुलिस बल की सेवायें में आने वाले जिन पदों पर सेवायोजन की कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जाती है, उन पदों के लिए निर्धारित अर्हताओं में से अन्य योग्यताएं व अर्हताएं पूर्ण करने वाले मृतक आश्रित अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हताओं के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम लम्बाई में दो सेन्टीमीटर तक की छूट प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(अनुज कुमार बिश्नोई)
सचिव।

संख्या-1203/छ:-पु0-10-2000-1200(8)/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश मुख्यालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रुद्र कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव।

O.S.D. Karmik
कृपया सेवायोजन के लिये शासनादेशानुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करें
9.5.2000
OSD (K)

8/5/2000

(66)

संख्या : 6/12/73-का0—2-93

प्रेषक,

कालिका प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन ।
2—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0 ।

लखनऊ : दिनांक 5 नवम्बर, 1993 ।

विषय : उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग—2

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991 में यह व्यवस्था की गई है कि "यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और कालान्तर में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर भी लागू होंगे ।" इसी के साथ ही उक्त नियमावली में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी । प्रतिबन्ध यह है कि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्यक पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिये सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक रिक्ति उपलब्ध न हो जाय ।"

2—शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कतिपय विभागों में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को यह कह कर उपयुक्त सेवायोजन नहीं प्रदान किया जा रहा है कि अमुक पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में है । यह स्थिति चिन्तनीय है । अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाय अर्थात् जो पद पहले लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं थे और अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हैं, उन पदों पर मृतक आश्रित नियमावली के तहत नियुक्तियां किये जाने में बाधा नहीं है ।

3—कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
कालिका प्रसाद,
सचिव ।

संख्या : 6/12/73-का0—2-93(1), तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
2—सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 ।
3—सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।

4—निबन्धक, उच्च न्यायालय, उ0 प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ ।
5—आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उ0 प्र0, लखनऊ ।
6—निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0 प्र0, लखनऊ ।
7—समस्त सलाहकारों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव ।
8—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ ।
10—श्री बी0 एन0 सिंह, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0 प्र0
52, सुन्दरबाग, लखनऊ—226019 ।

आज्ञा से,
डा0 जी0 डी0 माहेश्वरी,
विशेष सचिव ।

क्रम संख्या–24

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार 22 जनवरी, 2014

माघ 2, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 6/12/73/का–2–टी0सी0–IV

लखनऊ, 22 जनवरी, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–4

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती

(ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5–मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती– (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :–	5–मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती– (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :–
(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :	(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :
परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की	परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,	शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी, परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृतक सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी.सी.सी." प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण–पत्र के साथ–साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/ सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

(2) जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें समय-समय पर

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले मे न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/ सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

(2) जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।	उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII/73/Ka-2-T.C-IV, dated January 22, 2014:

No.6/XII/73/Ka-2-T.C-IV

Dated Lucknow January 22, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 :

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (ELEVENTH AMENDMENT) RULES, 2014

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Eleventh Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, *for* existing rule 5 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
5.(1) Recruitment of a member of the family of the deceased–In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an	**5.(1) Recruitment of a member of the family of the deceased**– In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–6/12/73/का–2टी.सी. IV
लखनऊ, दिनांक : 22 जनवरी, 2014

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवॉ संशोधन) नियमावली, 2014 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1--समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2--समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3--समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4--प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5--प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7–सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9–वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10–गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,